

फर्द अहकाम

खल्लू उर्फ खलराज बनाम गौकिकी देवी

न्यायालय

संख्या 5/2017

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक..... 3/11/25..... को पेश हो।	
	3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। उपपत्र की मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्राथमिक डिब्बी जारी होने के बाद तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी जयपुर को कुरैनात बनाकर न्यायालय के अधिनस्थ करके टैड क्रोडेशन किया गया था। तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 13/12/2024 को भेजी गई। उपपत्र मौका रिपोर्ट में प्राथमिक वादी खल्लू उर्फ खलराज पुत्र गिरधारी ने प्राथमिक पत्र तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी के नाम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुरैनात बनाना नहीं चाहते हैं। वाद को विज्ञे कर लेंगे। परन्तु दिनांक 13/12/2024 से कई पेशीपत्रों के उपरान्त भी वादी दायवा वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद को विज्ञे नहीं किया तथा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रां.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद को विज्ञे किन्हीं जोर पर ही कोई क्षमाति नहीं की। कुछ वादी व उनके अधिवक्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है अतः तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रां.पत्र (तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी के आस्था पर वाद को विज्ञे किया जाता है। पत्रावली फिल शुगा होकर दाखिल दस्तावेज है।	

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

